मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 16, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 905-मप्रविनिआ-2009, दिनांक 30 अप्रैल, 2009,

(ख) क्रमांक 906-मप्रविनिआ2009, दिनांक 30 अप्रैल, 2009; तथा

(ग) क्रमांक 921/मप्रविनिआ/2009, दिनांक 1 मई, 2009,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामाजिक न्याय :-

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 56 सन् 2000) की धारा 68 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-20-08-छब्बीस-2, दिनांक 3 अक्टूबर, 2008; तथा

(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 73 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-77-08-छब्बीस-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008,

पटल पर रखेंगी.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन :-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का इक्यावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 (दिनांक 1.4.2007 से 31.3.2008 तक) तथा वर्ष 2007-2008 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008

पटल पर रखेंगे.

4. मार्च, 2009 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

-2-

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र में खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पारस सकलेचा "दादा", सदस्य, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर भारी फीस की वसूली किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 120-तेंदूखेड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री राव उदय प्रताप सिंह तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 170- सोनकच्छ (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

11. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री जगन्नाथ सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2009-2010 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

13. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, के प्रबन्ध मण्डल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, शांतिलाल धबाई, सुखदेव पांसे, डॉ. प्रभुराम चौधरी तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 6 जुलाई, 2009